अपील सूचना अधिकार संख्या 29/2021 (GCMS 2021/50)(आईटीआई पोर्टल नं. 212275259379639) राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु 70 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम प्रभारी अधिकारी जन अभाव निराकरण समिति एवं अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

02.03.2022

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुआ और कथन किया कि उसने **प्रभारी अधिकारी जन अभाव निराकरण समिति एवं अति. जिलाा कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर** से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 29.01.2021 से अठाईस बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो **प्रभारी अधिकारी जन अभाव निराकरण समिति एवं अति. जिलाा कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर** ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने **प्रभारी अधिकारी जन अभाव निराकरण समिति एवं अति. जिलाा कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर** से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 29.01.2021 के द्वारा **प्रभारी अधिकारी जन अभाव निराकरण समिति एवं अति. जिलाा कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर** से निम्न सूचना चाही थी:

1. प्रार्थी का पत्रांक 7746 दिनांक 21.09.2020 कार्यालय में पहुंचने की तारीख, पत्र प्राप्ति पंजिका का क्रमांक की सूचना व प्रमाणित प्रति।
2. पत्र पर कार्यवाही करने वाले अधिकारी का नाम व पद की सूचना व प्रमाणित प्रति।
3. पत्र प्राप्ति से इस आवेदन का जवाब देने तक जो कार्यवाही की गई, उसकी सूचना व प्रमाणित प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:51:30 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

4. जिला कलक्टर द्वारा सतर्कता समिति को मार्किंग करने के उपरान्त प्रार्थी का प्रकरण जन अभाव निराकरण समिति द्वारा जिस नियम के अन्तर्गत नहीं सुना गया, उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।
5. प्रार्थी का प्रकरण जन अभाव निराकरण समिति द्वारा सुने जोन की तारीख की सूचना व प्रमाणित प्रति।
6. प्रार्थी का पत्रांक 7746 दिनांक 21.09.2020 में वांछित नकल उपलब्ध न कराने के नियम की सूचना व प्रमाणित प्रति।
7. पत्रांक प्रार्थी 7745 दिनांक 21.09.2020 कार्यालय में पहुंचने की तारीख व पत्र प्राप्ति का क्रमांक व दिनांक की सूचना व प्रमाणित प्रति।
8. पत्र पर कार्यवाही करने वाले कर्मचारी व अधिकारी का नाम व पद की सूचना व प्रमाणित प्रतिं
9. पत्र प्राप्ति से लेकर इस आवेदन का जवाब देने तक जो जो कार्यवाही की गयी उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
10. पत्र में अंकित वांछित नकल उपलब्ध कराने में जिय नियम के अन्तर्गत नकल उपलब्ध नहीं करवाई उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।
11. .... प्रार्थी के पत्रांक पर जिला कलक्टर द्वारा मार्किंग करने के उपरान्त जिस नियम के अन्तर्गत प्रार्थी का प्रकरण जन अभाव अभियोग निराकरण समिति द्वारा नहीं सुना गया, उस नियम की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति। प्रकरण राधेश्याम गोयलबनाम उपखण्ड अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:51:30 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

12. प्रार्थी का प्रकरण जन अभाव अभियोग निराकरण समिति में सुने जाने की तिथि/दिनांक की सूचना व प्रमाणित प्रति।

13 पत्रांक प्रार्थी 7743 दिनांक 21.09.2020 कार्यालय में पहुंचने की दिनांक व आर.आर. नम्बर की सूचनां

14. पत्र प्राप्ति से लेकर इस आवेदन का जवाब देने तक जो जो कार्यवाही जिस कर्मकार व अधिकारी द्वारा की गई, उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।

15. पत्र पर कार्यवाही करने वाले अधिकारी का नाम व कर्मचारी का नाम व पद की सूचना व प्रमाणित प्रति व नकल रिकॉर्ड न उपलब्ध करवाने की नियम की सूचना।

16 प्रकरण प्रार्थी जन अभाव अभियोग निराकरण समिति में न सुने जाने के नियम की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।

17. प्रकरण प्रार्थी जन अभाव अभियोग निराकरण समिति मे सुने जाने के दिनांक की सूचना व प्रमाणित प्रति।

18. प्रार्थी के आवेदन दिये जाने के उपरान्त अन्य से जो आवेदन प्राप्त हुए, उन्हें सुने जाने की दिनांक की सूचना व उनके नाम, पता व आवेदन की दिनांक की सूचना व प्रकरण सुने जाने की दिनांक की सूचना।

19. पत्रांक प्रार्थी 7743 दिनांक 21.09.2020 कार्यालय में पहुंचने की दिनांक व आर/आर नम्बर की सूचना।

20. पत्र प्राप्ति से लेकर इस आवेदन का जवाब देने तक जो जो कार्यवाही जिस कर्मकार व अधिकारी द्वारा की गई, उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।

21. प्रकरण श्री राधेश्याम गोयल [illegible] एसडीएम सम्बन्धित लिपिक में रिकॉर्ड उपलब्ध न क[illegible] के नियम की सूचना व प्रमाणित प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:51:30 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

22\. प्रार्थी का प्रकरण जन अभाव निराकरण समिति द्वारा आज तक न सुने जाने के नियम की सूचना व प्रमाणित प्रति।

23\. प्रार्थी का प्रकरण जन अभाव निराकरण समिति द्वारा सुने जाने की दिनांक व प्रमाणित प्रति। प्रार्थी का आवेदन दिये जाने के उपरान्त अन्य व्यक्ति द्वारा दिये आवेदन जो प्रार्थी के आवेदन के पश्चात दिये गये है, उन्हें सुने जाने की दिनांक, नाम की सूचना।

प्रार्थी का पत्रांक 7747 दिनांक 21.09.2021, प्रकरण राधेश्याम गोयल बनाम एमडी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक आदि में सुभाष गोयल तत्कालीन बैंकिंग सहायक, दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैक लि. बी.एल.ओ. द्वारा विरोधाभासी बयान दिये जाने बाबत सूचना व बयानों की प्रमाणित प्रतिं

24\. पत्रांक प्रार्थी 7747 कार्यालय में पहुंचने की दिनांक व आर/आर रजिस्टर की क्रमांक की सूचना।

25\. पत्र प्राप्ति से इस आवेदन का जवाब देने तक जो जो कार्यवाही जिस –2 कर्मकार व अधिकारी द्वारा की गई, उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।

26\. पत्रांक प्रार्थी को जन अभाव अभियोग निराकरण समिति द्वारा न सुने जाने के नियम की सूचना व प्रमाणित प्रति।

27\. प्रार्थी का प्रकरण जन अभाव अभियोग निराकरण समिति द्वारा सुने जाने की दिनांक की सूचना व प्रमाणित प्रति।

28\. प्रार्थी के आवेदन [illegible] आवेदन जन अभाव अभियोग निराकरण समिति [illegible] ने जाने हेतु प्राप्त हुए, उन्हें सुने जाने [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:51:30 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अधिकारी [illegible] सतर्कता प्रकोष्ठ, कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 6822 दिनांक 25.03.2021 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 03.03.2021 प्राप्त दिनांक 23.03.21 के संदर्भ में चाही गई इस कार्यालय की सतर्कता शाखा से सम्बन्धित सूचना **पांच सौ उन्नतीस पृष्ठ की है, जो दो रूपये प्रति पेज की दर से दस सौ अठावन रूपये का पोस्टल ऑर्डर जमा करवा कर प्राप्त कर सकते है।** इसके अतिरिक्त अन्य कोई सूचना की आवश्यकता है तो किसी भी कार्यालय दिवस में उपस्थित होकर पत्रावली का अवलोकन कर सूचना प्राप्त कर सकते है। अन्य विभाग से सम्बन्धित सूचना के लिए उन्हें पृष्टांकित कर दिया गया है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

-sd-
लोक सूचना अधिकारी
एवं प्रभारी अधिकारी सतर्कता प्रकोष्ठ
कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

चूंकि प्रभारी अधिकारी सतर्कता प्रकोष्ठ, कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर द्वारा अपलार्थी को वांछित सूचनाएं प्राप्ति हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने हेतु सूचित किया जा चुका है, जो सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील यहां से खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है और अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित राशि जमा कर **प्रभारी अधिकारी सतर्कता प्रकोष्ठ, कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर से वांछित सूचना प्राप्त कर सकते है** और इसके अतिरिक्त अन्य कोई सूचना की आवश्यकता हो तो, वह भी उनके कार्यालय में उपस्थित होकर पत्रावली का अवलोकन कर प्राप्त कर सकते है। **आदेश की प्रति प्रभारी अधिकारी सतर्कता प्रकोष्ठ, कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर को पालनार्थ** एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 02.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:51:30 IST
Reason: SelfAttested